अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 59–126/2012

अपीलार्थी – सुजानी कुमारी

एवं वाद सं0– 60–127/2012

अपीलार्थी – रेणु कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका दोनों ही अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1475/प्रो0 दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका अपीलवाद में आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0– 203 सहनामा मुशहरी केन्द्र का दिनांक 25.08.2012 को 10:55 बजे पूर्वाह्न में औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में केन्द्र बंद पाया गया केन्द्र पर एक भी लाभुक बच्चें नहीं थे सेविका एवं सहायिका दोनों ही अनाधिकृत अनुपस्थित थें।

केन्द्र बंद पाये जाने, लाभुक बच्चों की सं0–(0) शून्य रहने एवं सेविका/सहायिका दोनों ही अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यालय पत्रांक 1378/प्रो0 दिनांक 20.09.2012 से स्पष्टीकरण पूछा गया, तथा उन्हें अपना स्पष्टीकरण /पक्ष रखने हेतु दिनांक 28.09.2012 को उपस्थित होकर अपना पक्ष, समर्पित

करने हेतु निर्देश भी दिया गया।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2012 को सेविका श्रीमती सुजानी कुमारी एवं सहायिका रेणु देवी दोनो ने ही अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। अपने स्पष्टीकरण में सेविका/सहायिका ने लिखित तौर पर बताया कि निरीक्षण की तिथि 25.08.2012 को आवेदिका सेविका एवं सहायिका की तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर के पास ईलाज हेतु चली गई थी, स्पष्टीकरण सुनवाई में उपस्थित सुपौल के ही सी0डी0पी0ओ0. ने बताया कि उक्त निरीक्षण तिथि को अवकाश में रहने की सूचना ने तो सेविका और न ही सहायिका ने मुझे ही दिया और न ही महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया था, इस का साफ मतलब है कि ये दोनों सेविका/सहायिका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी। जो उनके मनमानेपन एवं स्वेच्छा चारिता को दर्शाता था। एवं इसी अनाधिकृत अनुपस्थित को मानकर ही केन्द्र की सेविका सुजानी कुमारी एवं सहायिका रेणु कुमारी के चयन मुक्ति निम्न न्यायालय आदेश ज्ञापांक 1475 दिनांक 08.10.2012 निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना – अपना पक्ष, सबूत, कागजात प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0– 203 सहनामा मुशहरी परियोजना केन्द्र का दिनांक 25.08.2012 को 10:55 बजे पूर्वाह्न में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया,केन्द्र बंद था सेविका /सहायिका दोनो ही अनुपस्थित थी उन्होंने बताया कि सेविका सुजानी कुमारी को दिनांक 24.08.2012 को शाम में अचानक काफी उल्टी व दस्त होने के कारण बगल के अन्दौली चौक के पास चिकित्सक के पास प्राथमिक उपचार हेतु ले जाया गया किन्तु प्राथमिक उपचार में सुधार न होने की स्थिति में परिवार के लोगों ने अपीलार्थी के बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए सुपौल के डॉक्टर शिवेन्द्र दास के क्लिनिक पर ले जाया गया जहाँ उन्हें 25.08.2012 को 5:00 शाम तक रहना पड़ा उन्होंने यह भी बताया कि परिवार के लोगों ने तबियत खराब होने एवं क्लिनिक में भर्त्ती होने एवं ईलाज कराने संबंधी सूचना सहायिका को सूचना दे दिया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र अवलोकन कराया गया।

सहायिका श्रीमती रेणु देवी के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यही बात बताया कि दिनांक 24.08.2012 को शाम छः बजे अचानक काफी उल्टी व बुखार होने के कारण सहायिका पति– द्वारा डॉक्टर के पास ईलाज हेतु ले जाया

गया। ईलाज के क्रम में रात– भर चिकित्सक के पास रहना पड़ा एवं दिनांक 25.08.2012 को 11:00 बजे अपने पति– के साथ घर पहुँचा जिस समय केन्द्र पर जाँच चल रहा था, उसी समय अपने घर पर आयी थी। चिकित्सक का प्रमाण पत्र अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी पक्ष रखा कि मनुष्य को समय एवं परिस्थिति के साथ चलना होता है। चूँकि सेविका की तबीयत अचानक ऐसी बिगड़ गई, जिससे उन्हें पहले अपना जीवन रक्षा करना श्रेष्कर समझा गया, जिसके कारण सेविका बिना कोई सूचना दिए अपनी जान बचाने हेतु चिकित्सक के पास ईलाज हेतु चली गई। और ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि सेविका एवं सहायिका दोनों को दिनांक 24.08.2012 को लगभग एक ही समय एवं तिथि को तबीयत खराब हुई दोनों को काफी उल्टी एवं दस्त एक ही तरह की बीमारी हुई, एक को केन्द्र के बगल के चौक अन्दौली पर ईलाज के लिए प्राईमरी चिकित्सा के लिए ले जाया गया, एवं पुनः बेहतर ईलाज हेतु सुपौल जाना पड़ा, जहाँ सेविका को डॉ0 शिवेन्द्र दास सुपौल के क्लिनिक में ईलाज हेतु ले जाया गया, जब कि सहायिका को डॉ0 नूतन वर्मा के क्लिनिक में भर्त्ती होना पड़ा, एवं वहाँ से सेविका को दिनांक 25.08.2012 को 5:00 PM में डिस्चार्ज किया गया जबकि सहायिका को उसी तिथि को 25.08.2012 को 11:00 बजे दिन में दोनों की बीमारी भी लगभग समान ईलाज कराने का तरीका भी लगभग समान, ये बाते पूर्णतः सही नहीं जान पड़ती है, लगता है कि निरीक्षण के बाद सेविका/सहायिका ने सोची समझी रणनीति एवं चतुराई के तहत् डॉ0 से चिकित्सा प्रमाण पत्र कागज After- thought तैयार करवा लिया हो।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो पक्ष एवं विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलील सुनने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरीक्षण तिथि को ही अचानक सेविका /एवं सहायिका की तबीयत खराब हो जाने के कारण केन्द्र बंद था, किन्तु यह बात समझने योग्य है कि अचानक तबीयत एक ही तिथि में व समय भी लगभग शाम 6:00 बजे ही इसमें पूर्णतः सच्चाई दिखाई नहीं होती है, प्राथमिक उपचार अंदौली जो केन्द्र के पास समीप था, जहाँ सेविका ने अपना सर्वप्रथम प्राथमिक ईलाज कराया था, उसका कोई प्रमाण पत्र कागजात न होना संदेह को मजबूती प्रदान करता है, लगता है कि सेविका एवं सहायिका ने अपने को निर्दोष साबित करने के उदेश से After- thought कागजात तैयार

करवा लिए हो अतः न्यायालय सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो लाभुक वर्ग के बच्चों माताओं के लिए ही संचालित होते है इस तरह केन्द्र को अनाधिकृत रूप से बन्द रखकर लाभार्थी को सेवा से वंचित रखना भी इस सेवा योजना के लक्ष्य के विरूद्ध बातें है जो परिलक्षित करता है, सेविका/सहायिका दोनों ही मनमानेपन व कार्य के प्रति लापरवाही से पेश आते है। लाभुक बच्चों की उपस्थिति शून्य रहने अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विभागीय मार्गदर्शिका 956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका (1) एवं (2) के तहत सेविका एवं सहायिका के राहत प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। चूँकि सेविका एवं सहायिका को जब अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का ज्ञान नहीं है तो यह न्यायालय उन्हें राहत प्रदान नहीं कर सकती है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश ज्ञापांक 1475/प्रो0 दिनांक 08.10.2012 को यथावत रखने का आदेश निर्गत करती है,

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

11.3.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा